संख्या – 1340/1–10–2010–14(15)/2009

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ला,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2010

विषयः वर्ष 2009–10 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 26 मार्च, 2010 में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/रेस्टोरेशन हेतु निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन कुल धनराशि **रू0 17,73,63,000/– (रुपये सत्रह करोड़ तिहत्तर लाख तिरसठ हजार मात्र)** संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03 –आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. आपदा राहत निधि की धनराशि में से वर्ष 2009 में बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स की मद संख्या –18 के अधीन क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन के कार्यो पर धनराशि की आवश्यकता का निर्धारण करते हुये विभागीय मानकों एवं लोक निर्माण विभाग के शेड्यूल रेट के अनुसार व्यय की जायेगी। कार्य की सतत निगरानी/गुणवत्ता हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी, तकनीकी अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की टास्कफोर्स भी गठित करेंगे, जिसके द्वारा कार्य का औचक निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा भी मासिक बैठक में आपदा राहत निधि के अन्तर्गत निर्गत धनराशि एवं उसके उपयोग की समीक्षा की जायेगी एवं मण्डलीय टास्कफोर्स के माध्यम से कार्यो का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जायेगी कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निरीक्षण आख्या तथा जांच

दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख करते हुये पूर्ण सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करायेंगे।

4. वर्ष 2009–10 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की परियोजनाओं को 30 दिन व अधिकतम 45 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि वर्ष 2009 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की अनुमन्य श्रेणी की परियोजनाओं पर ही धनराशि व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

5. बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त एवं अनुमन्य श्रेणी के कार्यो की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन कराने हेतु सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी आंगणन तैयार करायेंगे। जनपद स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी ऐसे कार्य, जो आपदा राहत निधि के लिये लागू शर्तो एवं प्राविधानों के अधीन अनुमन्य तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले हों तथा जिनकी कुल लागत रु0 20 लाख से अधिक न हो, का अनुमोदन करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय राहत समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमोदन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। यदि प्रस्तावित कार्य की लागत रु0 20 लाख से अधिक, परन्तु रु0 1 करोड़ से अनधिक हो, तो कार्य के अनुमोदन हेतु मण्डल स्तरीय राहत समिति को प्रस्तुत किया जायेगा। इस हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुमदोपरान्त मण्डलायुक्त द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी तथा वित्तीय उपलब्धता के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तदोपरान्त सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी एवं विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस सम्बन्ध में समय–समय पर विभिन्न जनपदों के लिये शासनादेश संख्या 3665/1–10–2008–12(73)/2008, दिनांक 29 जुलाई, 2008 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों का सम्बन्धित जनपदों द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस शासनादेश के साथ संलग्न विवरण में रु0 20 लाख तक की सिंचाई विभाग की कमांक –1 से 17 तक की परियोजनायें एक ही परियोजना को कई भागों में विभाजित की गयी है। अतः इन परियोजनाओं को एक परियोजना मानकर शासनादेश संख्या 3665/1–10–2008–12(73)/2008, दिनांक 29 जुलाई, 2008 के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त धनराशि व्यय की जाय तथा सक्षम स्तरीय समिति यह भी जांच करेगी कि जिला स्तर पर परियोजना को भागों में विभाजित क्यों किया गया और परियोजना के औचित्य पर विचार करेगी।

7. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

8. तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो की परियोजनाओं को खण्ड़ों में कदापि विभाजित नही किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

- 3 -

9. मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो की परियोजनाओं पर व्यय होने वाली धनराशि की सूची माननीय जन–प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

10. आपदा राहत निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि का अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिये किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आवंटित नही हुई है।

11. बाढ़ के अतिरिक्त यदि किसी क्षेत्र विशेष में 150 मिमी0 वर्षा 24 घण्टे के अंदर रिकार्ड की गई हो, तो उस क्षेत्र विशेष में उसे अप्रत्याशित वर्षा माना जायेगा तथा आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स में बादल फटने (Cloud Brust) की घटना मानते हुये दैवी आपदा माना जायेगा।

12. बाढ़ से क्षतिग्रस्त परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन विभागीय प्रक्रियाओं के अन्तर्गत कराया जाय तथा जिला स्तरीय एवं मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा गठित तकनीकी समिति के अनुमोदन के पश्चात ही विभाग को धनराशि उस सीमा तक ही तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन सम्बन्धी परियोजनाओं पर व्यय हेतु निर्गत की जाय। सम्बन्धित विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि उक्त परियोजनाओं में वांछित विभागीय मानकों के अनुरूप वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है।

13. आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा।

14. उक्त स्वीकृत धनराशि से बाढ़/बादल फटने से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान करने के उद्देश्य से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यो को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी करायेगी तथा कार्य के पूर्ण निष्पादन उपरान्त फोटोग्राफी तथा वीडियोग्राफी कराकर व्यय सम्बन्धी मास्टररोल, एम0बी0 तथा सम्बन्धित बाउचर जिलाधिकारी को अग्रिम के समायोजन के साथ प्रस्तुत करेंगे। प्रत्येक चरण में की गई फोटोग्राफी तथा वीडियोंग्राफी की एक प्रति जिलाधिकारी के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा शासन को भी उपलब्ध कराई जायेगी। उपरोक्त कार्यो की निदर्शिनी भी प्रकाशित की जाय, जिसके अन्तर्गत जनपद में किये गये आपदा सम्बन्धी कार्यो का विवरण हो। इस निदर्शिनी को मण्डलायुक्त, राहत आयुक्त एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय तथा इसे जनपद की वेबसाइड पर जन सूचना हेतु उपलब्ध कराया जाय।

15. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा राहत निधि की गाईड लाइन्स के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

-4-

16. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693 / 1–11–2005–रा0–11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उसे शासन को तत्काल समर्पित कर दी जाय।

17. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

18. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

19. आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि का व्यय अनिवार्य रूप से सी0आर0एफ0 की गाईड लाइन्स के अनुरूप किया जाय। इस बिन्दु का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय,

( एस0एन0 शुक्ला )
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या – 1340 (1) / 1–10–2010–14(15) / 2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा) / महालेखाकार (आडिट) प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी बहराइच।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–5
6. समीक्षाधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग–10 / राजस्व अनुभाग–6 / 11 / राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
7. चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( श्रीश दुबे )
संयुक्त सचिव

संख्या – 1340 / 1–10–2010–14(15) / 2009
दिनांक 30 मार्च, 2010 का संलग्नक

जनपद बहराइच,

रू0 20.00 लाख तक की परियोजना

लोक निर्माण विभाग

| क. सं. | परियोजना का नाम | लागत (रू0 लाख में) | जिला आपदा राहत समिति की संस्तुति | कार्य की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | नानपारा विसनापुर–विछिया–रमपुरवा सम्पर्क मार्ग | 6.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 2 | नानपारा मिहीपुरवा–गोपिया–पडरिया सम्पर्क मार्ग | 15.20 | प्राप्त | मरम्मत |
| 3 | नानपारा नानपारा–मोतीपुर–कतर्निया धाट मार्ग | 8.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 4 | बहराइच बहराइच ककरदरी मार्ग | 16.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 5 | नानपारा बरदिया सम्पर्क मार्ग | 6.10 | प्राप्त | मरम्मत |
| 6 | नानपारा बस्थनवा सम्पर्क मार्ग | 12.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 7 | महसी तिगडा सम्पर्क मार्ग | 18.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 8 | महसी मुरौव्वा सम्पर्क मार्ग | 5.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 9 | महसी कायमपुर सम्पर्क मार्ग | 4.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 10 | महसी मैकुपुरवा सम्पर्क मार्ग | 6.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 11 | महसी महसी टपरा सम्पर्क मार्ग | 4.20 | प्राप्त | मरम्मत |
| 12 | महसी पूरेसीताराम सम्पर्क मार्ग | 3.70 | प्राप्त | मरम्मत |
| 13 | महसी परे प्रसाद सिह सम्पर्क मार्ग | 5.10 | प्राप्त | मरम्मत |
| 14 | महसी केवलपुर सम्पर्क मार्ग | 5.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 15 | महसी कैलैला सम्पर्क मार्ग | 3.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 16 | महसी जुगुपुरवा सम्पक मार्ग | 2.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 17 | नानपारा सहावा सम्पर्क मार्ग | 2.70 | प्राप्त | मरम्मत |
| 18 | नानपारा होलिया सम्पर्क मार्ग | 3.20 | प्राप्त | मरम्मत |
| 19 | नानपारा पकडिया दीवान सम्पर्क माग्र | 4.30 | प्राप्त | मरम्मत |
| 20 | नानपारा बरूहा सम्पर्क मार्ग | 3.80 | प्राप्त | मरम्मत |
| 21 | नानपारा भवनियापुर बनधुसरी सम्पर्क मार्ग | 4.50 | प्राप्त | मरम्मत |

-2-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | नानपारा सामईगौढी सम्पर्क मार्ग | 5.80 | प्राप्त | मरम्मत |
| 23 | नानपारा बख्तावर गौढी सम्पर्क मार्ग | 3.60 | प्राप्त | मरम्मत |
| 24 | महसी आर0एस0आई0एन0मार्ग से चमारनपुरवा सम्पर्कमार्ग | 3.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 25 | महसी सिगाही सम्पर्क मोर्ग | 2.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 26 | महसी रैपुरा सम्पर्क मार्ग | 0.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 27 | महसी कोठार सम्पर्क मार्ग | 1.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 28 | महसी जानकी नगर सम्पर्क मार्ग | 20.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 29 | नानपारा बसन्तपुर उदल सम्पर्क मार्ग | 20.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 30 | नानपारा दौलतपुर चौराहे से लोनियनपुरवा सम्पर्क मार्ग | 20.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 31 | महसी मैकुपुरवा सम्पर्क मार्ग | 8.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 32 | महसी गौरिसा सम्पर्क मार्ग | 3.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 33 | महसी सधवापुरसम्पर्क मार्ग | 4.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 34 | महसी देवरायपुर सम्पर्क मार्ग | 9.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 35 | बहराइच आसाममार्ग से बेगमपुर सम्पर्क मार्ग | 18.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 36 | बहराइच आसाममार्ग से बहराइच – नानपारा मार्ग वाया अलियाबुलबुल सम्पर्क मार्ग | 3.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 37 | नानपारा पी0बी0बी0 मार्ग | 15.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 38 | महसी बेहटा चूडामणि से तारापुरवा सम्पर्क मार्ग | 11.30 | प्राप्त | मरम्मत |
| 39 | महसी मरौचा बौडी मार्ग से सिलौटा सम्पर्क मार्ग | 11.60 | प्राप्त | मरम्मत |
| 40 | महसी गोलागंज सम्पर्क मार्ग | 9.70 | प्राप्त | मरम्मत |
| 41 | महसी ग्रालागंज सम्पके मार्ग के किलो0–2 से परेड टेपरा सम्पर्क मार्ग | 4.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 42 | महसी सिपहियाहुलास सम्पर्क मार्ग | 9.70 | प्राप्त | मरम्मत |
| 43 | महसी बोडी सम्पर्क मार्ग | 9.70 | प्राप्त | मरम्मत |
| 44 | कैसरगंज होलपारा सम्पर्क मार्ग | 5.80 | प्राप्त | मरम्मत |
| 45 | महसी स्पर न0–2 से अहिरन पुरवा सम्पर्क मार्ग | 1.80 | प्राप्त | मरम्मत |
| 46 | महसी धुरदेवी से नौवस्ता सम्पर्क मार्ग | 9.30 | प्राप्त | मरम्मत |
| 47 | कैसरगंज मझारा तौकली सम्पर्क मार्ग | 5.50 | प्राप्त | मरम्मत |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | महसी बहोरवा सम्पर्क मार्ग | 4.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 49 | कैसरगंज पटखौली भवानीपुर सम्पर्क मार्ग | 19.60 | प्राप्त | मरम्मत |
| 50 | कैसरगंज तखवापुर सम्पर्क मार्ग | 19.67 | प्राप्त | मरम्मत |
| 51 | कैसरगंज बसौना सम्पर्क मार्ग | 19.70 | प्राप्त | मरम्मत |
| 52 | कैसरगंज समदा बाजार से बबुरी होकर ढिढौरन पुरवा से बभनपुरवा हेतु हुये गाँधी गंज बाजारा मार्ग के मरम्मत का कार्य | 15.80 | प्राप्त | मरम्मत |
| 53 | कैसरगंज गोडहिया–4 सम्पर्क मार्ग | 13.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 54 | कैसरगंज प्रयागपुर हजूरपुर कैसरगंज मार्ग किमी0 29 मे बाई पास मार्ग सोतिया नाला पर बने मार्ग का मरम्मत कार्य | 6.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 55 | कैसरगंज जगदीशपुर मार्ग के किमी010 में स्थित भग्गडवा बाई पास की मरम्मत का कार्य | 18.01 | प्राप्त | मरम्मत |
| 56 | कैसरगंज रिठौरा मेाड से पुरैनी होते हुये ढपाली पुरवा खासे पुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य | 2.60 | प्राप्त | मरम्मत |
| 57 | कैसरगंज नवये ग्राम सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य | 3.70 | प्राप्त | मरम्मत |
| 58 | कैसरगंज रेवढा सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का कार्य | 4.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 59 | महसी जैतापुर बिसवा सम्पर्क मार्ग से भौरी सम्पर्क मार्ग के पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य का पुर्नरूद्वार का कार्य | 18.80 | प्राप्त | मरम्मत |
| 60 | कैसरगंज मरौचा से कन्जाकाने सम्पर्क मार्ग | 5.90 | प्राप्त | मरम्मत |
| 61 | कैसरगंज मथुरा सम्पर्क मार्ग | 6.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 62 | कैसरगंज झपाट पुर सम्पर्क मार्ग | 6.05 | प्राप्त | मरम्मत |
| 63 | कैसरगंज पटखौली भवानीपुर सम्पर्क मार्ग | 19.95 | प्राप्त | मरम्मत |
| 64 | कैसरगंज भगहा –बसन्तपुर सम्पर्क मार्ग | 19.95 | प्राप्त | मरम्मत |
| 65 | कैसरगंज बसौना सम्पर्क मार्ग | 19.05 | प्राप्त | मरम्मत |
| 66 | कैसरगंज तखवापुर सम्पर्क मार्ग | 19.80 | प्राप्त | मरम्मत |
| 67 | कैसरगंज धनराज पुर सम्पर्क मार्ग | 2.70 | प्राप्त | मरम्मत |

-4-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 68 | कैसरगंज बासगॉव बैरीयर से महोली होते हुये गौरा ग्राम तक सम्पर्क मार्ग | 3.10 | प्राप्त | मरम्मत |
| 69 | कैसरगंज भग्गडवा से भंगहरिया सम्पके मार्ग | 4.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 70 | कैसरगंज महेरी सम्पर्क मार्ग | 7.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 71 | कैसरगंज कटका से भग्गडवा सम्पर्क मार्ग | 4.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 72 | कैसरगंज पी0एच0के0 मार्ग के किमी020 से नवासीसम्पर्क मार्ग | 3.25 | प्राप्त | मरम्मत |
| 73 | कैसरगंज हरिराजपुर सम्पर्क माग्र | 5.25 | प्राप्त | मरम्मत |
| 74 | कैसरगंज मीरपुर कोनिया सम्पर्क मार्ग | 3.75 | प्राप्त | मरम्मत |
| 75 | कैसरगंज नकहरा अब्बोपूर सम्पर्क मार्ग | 3.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 76 | कैसरगंज नैागोइया मार्ग से बगहिया–हरिजनपुरवा सम्पर्क मार्ग | 2.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 77 | कैसरगंज नौगोइया सम्पर्क मार्ग | 7.70 | प्राप्त | मरम्मत |
| 78 | कैसरगंज गोडहिया न0–4 सम्पर्क मार्ग किमी03से 8 | 17.75 | प्राप्त | मरम्मत |
| 79 | कैसरगंज श्रमदान मार्ग लदौर मार्ग | 4.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| | **योग** | **668.18** | | |

<u>सिंचाई विभाग</u>

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | लागत (रु0 लाख में) | जिला आपदा राहत समिति की संस्तुति | कार्य की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी0 0.600 से 1.700 तक पुर्नस्थापना मे मिट्टी **का कार्य** | 8.54 | प्राप्त | मरम्मत |
| 2 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी0 2.00 से 3.500 तक पुर्नस्थापना मे मिट्टी **का कार्य** | 15.72 | प्राप्त | मरम्मत |
| 3 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी0 9.600 से 10.000 तक पुर्नस्थापना मे मिट्टी **का कार्य** | 15.17 | प्राप्त | मरम्मत |
| 4 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी0 10. 400से 10.900 तक पुर्नस्थापना मे मिट्टी **का कार्य** | 10.86 | प्राप्त | मरम्मत |

-5-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी0 10. 000 से 10.400तक पुर्नस्थापना मे मिट्टी **का कार्य** | 14.70 | प्राप्त | मरम्मत |
| 6 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी013.300 से 14.000तक पुर्नस्थापना मे मिट्टी **का कार्य** | 6.35 | प्राप्त | मरम्मत |
| 7 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी014.200 से 17.700 तक पुर्नस्थापना मे मिट्टी **का कार्य** | 10.78 | प्राप्त | मरम्मत |
| 8 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी00.50 पर क्षतिग्रस्त रेगुलेटर के स्थापना का कार्य | 6.83 | प्राप्त | मरम्मत |
| 9 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी08.000 पर क्षतिग्रस्त रेगुलेटर के स्थापना का कार्य | 17.74 | प्राप्त | मरम्मत |
| 10 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी09.000 पर क्षतिग्रस्त रेगुलेटर के स्थापना का कार्य | 13.42 | प्राप्त | मरम्मत |
| 11 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी016.500 पर क्षतिग्रस्त रेगुलेटर के स्थापना का कार्य | 13.15 | प्राप्त | मरम्मत |
| 12 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी016.500 पर क्षतिग्रस्त रेगुलेटर के स्थापना का कार्य | 15.29 | प्राप्त | मरम्मत |
| 13 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी0 32. 900 से 33.00,किमी0 35.300से 35. 500,किमी035.900 से 36.050 व किमी 36.350 से 36.450 तक पुनरोद्वार हेतु मिट्टी का कार्य तक पुर्नस्थापना मे मिट्टी **का कार्य** | 19.72 | प्राप्त | मरम्मत |
| 14 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी0 26.00 से 37.300,से क्षतिगस्त रैम्पो पर मिट्टी **का कार्य** | 19.08 | प्राप्त | मरम्मत |
| 15 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी0 25. 800से 26.100,किमी0 27.400से 27. 750,किमी031.800से 31.850 व तक पुनरोद्वार हेतु मिट्टी का कार्य तक पुर्नस्थापना मे **मिट्टी का कार्य** | 18.61 | प्राप्त | मरम्मत |
| 16 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी036.650 से 36.800,किमी0 37.300से 37. | 14.94 | प्राप्त | मरम्मत |

-6-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 450,किमी037.900से 38.150 तक पुनरोद्धार हेतु मिट्टी का कार्य तक पुर्नस्थापना मे मि**ट्टी का कार्य** | | | |
| 17 | बेलहा बैहरौली तटबन्ध के किमी0 22. 500से 22.800,किमी0 31.000,किमी0 38. 000,किमी046.800 पर निर्मित रेगुलेटर के मरम्मत का कार्य | 19.79 | प्राप्त | मरम्मत |
| 18 | गोडवा –भिरवा ड्रेन न0–75 के बी0आर0बी0 किमी0 0.290 एवं किमी0 3.700 के रैम्पो के पुर्नस्थापन का कार्य | 2.11 | प्राप्त | मरम्मत |
| 19 | रिसिया नाला के किमी0 3.650 एवं किमी0 5.950 पर निर्मित बी0आर0बी0 के रैम्पेा के मरम्मत का कार्य | 7.09 | प्राप्त | मरम्मत |
| | **योग** | **249.89** | | |

**रू. 20.00 लाख से अधिक एवं 1.00 करोड़ तक की परियोजना**

**लोक निर्माण विभाग**

| क. सं. | परियोजना का नाम | लागत (रु0 लाख में) | मण्डल स्तरीय आपदा राहत समिति की संस्तुति | कार्य की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | महसी – बेहटा भया सम्पर्क मार्ग | 98.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 2 | महसी – जरवधिया सम्पर्क मार्ग | 28.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 3 | महसी – अरनवा सम्पर्क मार्ग | 44.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 4 | महसी – सोहबतिया सम्पर्क मार्ग | 36.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 5 | नानपारा – बैवाही सम्पर्क मार्ग | 41.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 6 | नानपारा – महोली शेर खॉ सम्पर्क मार्ग | 42.20 | प्राप्त | मरम्मत |
| 7 | महसी – सिसैया सम्पर्क मार्ग | 90.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 8 | नानपारा – गोकुलपुर सम्पर्क मार्ग | 22.30 | प्राप्त | मरम्मत |
| 9 | महसी – किसानगंज रमवापुर सम्पर्क मार्ग | 53.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 10 | महसी – बालासराय सम्पर्क मार्ग | 61.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 11 | महसी – मुसल्लमपुर सम्पर्क मार्ग | 40.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 12 | कैसरगंज – मझारा तौकली सम्पर्क मार्ग के किमी0 07 से तौकली सम्पर्क र्मोग | 23.90 | प्राप्त | मरम्मत |
| 13 | महसी – जैतापुर बिसवा सम्पर्क मार्ग से भौरी सम्पर्क मार्ग | 35.50 | प्राप्त | मरम्मत |
| 14 | महसी – दरौना सम्पर्क मार्ग | 48.00 | प्राप्त | मरम्मत |
| 15 | कैसरगंज –नदवल –संगवा मार्ग पर | 44.20 | प्राप्त | मरम्मत |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | मोहारी डीह से महेशपुरवा (मझारा तौकली सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य) | | | |
| 16 | कैसरगंज – गोडहिया नीम से गोडहिया न0–1 से होते हुये 300 रेती मार्ग के मरम्मत का कार्य | 22.97 | प्राप्त | मरम्मत |
| 17 | कैसरगंज – नौगोइया मार्ग से गोडहिया न0–3 होत हुये गो0न0–4 मार्ग तेक के मरम्मत का कार्य | 39.90 | प्राप्त | मरम्मत |
| 18 | कैसरगंज –गोडहिया नीम से300 रेती मार्ग | 55.49 | प्राप्त | मरम्मत |
| 19 | कैसरगंज – बगहिया मार्ग से धवई पुरवा मार्ग | 29.10 | प्राप्त | मरम्मत |
| | **योग** | **855.56** | | |

( एस0एन0 शुक्ला )
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त